भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : 399
गुरुवार, 27 मार्च, 2025/6 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को 'प्वाइंट ऑफ कॉल' का दर्जा

***399 श्री के. सुधाकरन:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उत्तरी केरल विशेषकर कन्नूर में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की बढ़ती मांग और बढ़ते यात्री यातायात के दृष्टिगत प्रत्येक विमान के लिए मौजूदा सीट आवंटन में वृद्धि किए बिना कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को 'प्वाइंट ऑफ कॉल' का दर्जा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का कन्नूर विमानपत्तन पर अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के विस्तार को सुविधाजनक बनाने के लिए कोई वैकल्पिक सुझाव/योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इस तथ्य के दृष्टिगत कि कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन केरल के उत्तरी भाग में प्रवासियों, व्यापार के उद्देश्य से यात्रा करने वाले यात्रियों और आम जनता की सेवा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस क्षेत्र में क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने, आर्थकि विकास को बढ़ावा देने और बड़ी आबादी की यात्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के व्यापक हित में लंबे समय से किए जा रहे इस अनुरोध पर ध्यान देगी, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को 'प्वाइंट ऑफ कॉल' का दर्जा" के संबंध में श्री के. सुधाकरन द्वारा पूछे गए दिनांक 27.03.2025 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 399 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ) अन्य देशों के नामित वाहकों को प्वाइंट ऑफ कॉल (पीओसी) प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है और यह भारत और अन्य देशों के बीच समय-समय पर हस्ताक्षरित हवाई सेवाओं पर द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से किया जाता है। अन्य देशों के नामित वाहकों को पीओसी प्रदान किया जाना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें भारतीय विमानन क्षेत्र को लाभ, उस देश में भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति, भारतीय वाहकों की योजनाएं, पारस्परिकता के तत्व, लाभों का संतुलन और दो देशों के बीच अन्य प्रासंगिक कारक शामिल हैं।

वर्तमान में, भारत सरकार कन्नूर सहित गैर-मेट्रो स्थलों से भारतीय वाहकों द्वारा सीधे अथवा अपने स्वयं के घरेलू परिचालनों के माध्यम से अधिक अंतर्राष्ट्रीय परिचालन को बढ़ावा देती है। तदनुसार, किसी भी अन्य देश को हवाई सेवा समझौतों (एएसए) में गैर-मेट्रो स्थलों को नए प्वाइंट ऑफ कॉल के रूप में प्रदान नहीं किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, यातायात अधिकार आवंटित करते समय यह मंत्रालय उन भारतीय वाहकों को प्राथमिकता प्रदान करता है जो गैर-मेट्रो स्थानों से अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवाएँ संचालित करने की मंशा रखते हैं।

*****